पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1999
दिनांक- 03.11.2026

जोन-उत्तरी / थाना- रहीमाबाद, लखनऊ

लखनऊ में दीपावली एवं आगामी त्योहारों के अवसर पर दीप जालने के साथ-साथ पटाखे/आतिशबाजी का भी प्रयोग किया जाता है, पटाखे/आतिशबाजी वितरण के लिए पटाखा विक्रेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए आस्थायी लाइसेन्स के लिए आवेदन किये जाते है, जिनको निर्धारित मानको/शर्तों के अनुसार ही निर्गत किया जाता है।

आतिशबाजी विक्रय हेतु लाइसेन्स स्थल का विवरण:-

क्र0सं0	जोन	सर्किल	थाना	विक्रय स्थल का नाम	2026 हेतु अनुमोदित दुकानों की संख्या
1	पश्चिमी	चौक	चौक	आरएमएल लॉन	19
2		बाजरखाला	तालकटोरा	स्थल मधुबन मैरिज लॉन	25
3			तालकटोरा	आलमनगर योगा मैदान	4
4			बाजारखाला	रस्तोगी इण्टर कालेज मैदान	9
5		कैसरबाग	नाका	डीएवी इण्टर कालेज	40
6		काकोरी	दुबग्गा	आम्रपाली योजना	40
7			काकोरी	बाबू त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज	10
8			पारा	शकुन्तला डिग्री कालेज	45
9	मध्य	कैन्ट	कैन्ट	प्रधान का खेत खाली मैदान	12
10			कैन्ट	एल0बी0एस0 ग्राउण्ड तोपखाना बाजार	5
11			कैन्ट	मरीमाता मन्दिर खाली मैदान	3
12			कैन्ट	हरिचन्द्र इण्टर कालेज	18
13			मानकनगर	भट्टान मैदान	10
14			आशियाना	कथावाचक मैदान आशियाना	50
15			हसनगंज	रामाधीन लॉन बाबू गंज	14

16			हसनगंज	पुराना गोमती मोटर	14
17			हसनगंज	गोमती रिवर पर झूलेलाल पार्क के निकट मैदान	12
18			मदेयगंज	गुलजार शाह बाबा की मजार	15
19		हजरतगंज	हुसैनगंज	रामलीला का मैदान पुराना किला	15
20	उन्नरी	अलीगंज	मडियांव	सेक्टर ई सचिवालय कालोनी	40
21			मडियांव	गोल्डन ब्रिज लान भिठौली खुर्द	10
22			जानकीपुरम	मौर्या भट्टा नहर रोड	30
23		मलिहाबाद	माल	सैदापुर मडवाना खुला मैदान	6
24			माल	उदादेवी बालिका इण्टर कालेज	10
25			माल	गौरैया चौराहा खुला स्थान	10
26			माल	नवी पनाह अन्धे की पुलिस चौकी रोड	3
27			मलिहाबाद	यूसुफ खान की जमीन हरदोई रोड किनारे खुला स्थान	30
28			मलिहाबाद	कसमण्डी कला से नवी पनाह जाने वाली रोड पर	10
29			रहीमाबाद	अटेर ससपन, रहीमाबाद	13
30			रहीमाबाद	हिन्दुस्तान धर्मकांटा के पास आम के बाग	13
31			रहिमाबाद	किसान ट्रेडर्स आम की बाग	9
32		बी0के0टी0	बीकेटी	चन्द्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय	12
33			इटौंजा	अनीस का खेत	8
34			इटौंजा	नफीस/लतीफ का खेत	14
35			इटौंजा	लतीफ के खेत से पूर्व बाजार से 50 मीटर दूर इम्तियाज अली का खेत	10
36			महिगवां	कुर्सी रोड प्रदीप मिश्रा का खेत	5
37			सैरपुर	सैरपुर मैदान	9

38	पूर्व	गाजीपुर	विकासनगर	मिनी स्टेडियम	50
39			गाजीपुर	राजकीय पालीटेक्निक ग्राउण्ड	50
40			इन्दिरानगर	अमरई गांव के किनारे	8
41		गोमतीनगर	गोमतीनगर	विनीत खण्ड पानी की टंकी	30
42		विभूतिखण्ड	विभूतिखण्ड	एलपीएस ग्राउड	25
43			चिनहट	कठौता झील के किनारे	35
44	दक्षिणी	मोहनलालगंज	नगराम	कारोरा तालाब के किनारे	9
45			नगराम	शंशाक मिश्रा प्लाट	8
46			नगराम	डोबिया नहर	6
47			निगोहा	रामलीला मैदान निगोहा बाजार	15
48			मोहनलालगंज	काशीश्वर इण्टर कालेज मैदान	30
49			मोहनलालगंज	आरा मशीन के पास बिजनौर रोड सिरसेण्डी	40
50			मोहनलालगंज	दंगल मैदान खुजोली चौराहा	16
51		गोसाईंगंज	गोसाईंगंज	भाईलाल उत्तम की बाग	14
52			गोसाईंगंज	छोटे भाईया का खेत गंगागंज	6
53			गोसाईंगंज	पंकज सिंह चौहान का बाग	22
54			सु0गो0सि0	इन्दिरानहर झील के पास खुर्दही बाजार	40
55			सु0गो0सि0	आदर्श जुनियर हाई स्कूल अहमामऊ सुल्तानपुर रोड पर खेल का मैदान	15
56			पीजीआई	रामभरोसे मैयकूलाल	50
57			पीजीआई	कल्ली पश्चिम ओमेक्स रोड	13
58		कृष्णानगर	सरोजनीनगर	सैनिक ग्राउण्ड सरोजनीनगर	67
59			सरोजनीनगर	रामलीला मैदान सेक्टर एफ	23
60			बंथरा	ढोहरे पीर बाबा मंदिर के पास का मैदान	27

नोट- कमिश्नरेट लखनऊ में अस्थायी आतिशबाजी विक्रय हेतु **कुल 1201 दुकानें** लगाया जाना प्रस्तावित है।

अस्थायी आतिशबाजी विक्रय हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है:-

- दुकान निर्धारित स्थान /थाना क्षेत्र में मानकों के अनुरूप लगाई जायेगी।
- **प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान पर लाइसेंस की एक प्रति दुकान पर चस्पा करेंगे।**
- दुकान पर 200 लीटर पानी का ड्रम, दो बाल्टी, समुचित मात्रा में बालू तथा फावड़ा व 05 किलोग्राम क्षमता का डी0सी0पी0 अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता अवश्य हो। यह बाल्टियाँ लाल रंग से रंगी होगी और उस पर आग लिखा होगा।
- केवल हरित पटाखो, जो कम प्रदूषण करने वाले पदार्थों से बने हों तथा अन्य पटाखे से 30% कम प्रदूषण करते हैं, जो केवल 110 से 125 डेसीबल तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे हों, की बिक्री अनुमन्य किया जाता है।
- दुकान पर धूम्रपान निषेध व आतिशबाजी का प्रयोग 100 मीटर की परिधि में वर्जित का साइन बोर्ड लगा होना चाहिये।
- दुकानें किसी भी संरक्षित निर्माण (जैसे- रिहायशी मकान, अस्पताल, स्कूल, बिजली ट्रांसफार्मर या ज्वलनशील पदार्थ के गोदाम) से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
- दुकानों के सामने कम से कम 3 से 6 मीटर चौड़ा खुला रास्ता होना चाहिए ताकि भीड़ न लगे और अग्निशामक वाहन आसानी से आ-जा सकें।
- आतिशबाजी की दुकानें केवल टीन शेड में ही लगाई जाएं और दो दुकानों के बीच न्यूनतम दूरी 3 मीटर होनी चाहिए।
- खुले स्थान पर दुकानों की बाहरी सुरक्षा दूरी 50 मीटर होनी चाहिए और दुकानों के दरवाजे आमने-सामने नहीं होने चाहिए।
- यदि दुकानें एक से अधिक कतारों में हैं, तो वे समानांतर होनी चाहिए और उनके प्रवेश द्वार विपरीत दिशा में हों, या दुकानें L-आकार या I-आकार में लगाई जाएं।
- दुकान पर तेज आवाज वाली व खतरनाक आतिशबाजी जैसे-रॉकेट, लडियां, बम्वस, मिजाइल्स, क्रैकर्स चटाई आदि व अन्य प्रतिबन्धित आतिशबाजी नहीं बेची जायेगी।
- विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर दुकान पर पेट्रोमैक्स/मोमबत्ती/लैम्प नहीं जलाई जाएगी तथा कोई भी दुकान बिजली के तार के नीचे नहीं लगाई जायेगी।
- धारा -163 बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी।
- दुकान लगाने से पूर्व अस्थाई विद्युत कनेक्शन ले लिया जायेगा।
- दुकान ऐसी जगह लगाई जायेगी, जिससे मुख्य मार्ग अवरूद्ध न होने पाए।
- अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों/मानकों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- अवयस्कों, विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक से आतिशबाजी की बिक्री नहीं करायी जायेगी।
- पटाखों पर प्रतिबन्ध लगने की दशा मे यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित शर्तो व प्रतिबन्धों का उल्लघंन करने, शान्ति व्यवस्था, जनहित में यह अनुमति किसी भी समय निरस्त करते हुए विक्रेता के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- आतिशबाजी विक्री स्थल पर आतिशबाजी को जलाकर उसका प्रयोग न दिखाया जाए व आतिशबाजी की खुली सामग्री फैलाकर न रखी जायें एवं आतिशबाजी के साथ किसी अन्य सामान की बिक्री नहीं की जायेगी।

अवैध भण्डारण पर कार्यवाही:-

हाल ही में लखनऊ पुलिस द्वारा अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण एवं विक्रय करने वालों व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा स्थानीय पुलिस द्वारा **Sniffer Dogs एवं BDDS** (बम निरोधक दश्ता) की टीम के साथ लगातार अभियान चलाकर अवैध भण्डारण एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ पुलिस की अपील:-

सभी पटाखा निर्माताओं एवं विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि प्रशासन द्वारा समय- समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण, संग्रहण विक्रय, परिवहन न करें। नियमों के उल्लघंन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी संदिग्ध व अवैध गति विधि की सूचना तुरन्त पुलिस को दे ताकि शहर में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाया रखा जा सके।

-0-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1998
दिनांक- 03.11.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना- सआदतगंज

- **थाना सआदतगंज पुलिस टीम द्वारा राहगीर से मोबाइल छीनने के आरोपी 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **छीना गया मोबाइल फोन बरामद।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 03.11.2026 को थाना सआदतगंज पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए, मु०अ०सं० 258/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सआदतगंज, लखनऊ का सफल अनावरण करते हुए घटना से संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण- 1. महफूस हुसैन व 2. मो० सारिफ को मुखबिर की सूचना पर बेलवारी मैदान के पास से घेराबंदी कर बरामदशुदा 01 अदद एंड्राइड मोबाइल फोन (सैमसंग, आसमानी रंग) सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 03.11.2026 को मु०अ०सं० 258/2026 धारा 304(2) बीएनएस के अनावरण हेतु पुलिस फोर्स कटरा तिराहा पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी कि कल रात में राहगीर से मोबाइल छीनने वाले दोनों व्यक्ति बेलवारी मैदान पर बैठे हैं, यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर बेलवारी मैदान से करीब 30 मीटर पहले पुलिस वाहन को देखकर भागने का प्रयास कर रहे दोनों संदिग्धों को मुस्तैदी से घेरकर पकड़ लिया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना नाम महफूस हुसैन व मो० सारिफ बताया। अभियुक्त महफूस हुसैन के पहने हुए पैंट की दाहिनी जेब से एक एंड्राइड मोबाइल बरामद हुआ, जिस पर काला कवर चढ़ा था। कवर हटाकर देखने पर उक्त मोबाइल आसमानी रंग का सैमसंग कंपनी का मॉडल SM-MO66B/DS (4GB/64GB, मेड इन इंडिया) पाया गया।

बरामद मोबाइल के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने कल रात्रि में एक राह चलते व्यक्ति से इसे छीना था। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर दोनों अभियुक्तों को जुर्म की धाराओं से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. महफूस हुसैन पुत्र इंतिजार हुसैन, निवासी- इकबाल नगर, जामा मस्जिद के पास, मुफ्तीगंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ। उम्र 18 वर्ष
2. मो०सारिफ पुत्र अनवर हुसैन, निवासी- इकबाल नगर, खंटी रामबाबू की दुकान के पास, मुफ्तीगंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ। उम्र करीब 20 वर्ष।

04-गिरफ्तारी स्थान एवं दिनांक-

❖ बेलवारी मैदान, थाना सआदतगंज क्षेत्र, लखनऊ; दिनांक 03.11.2026, समय 13:25 बजे

05-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

❖ मु०अ०सं० 258/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सआदतगंज, लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण :-

➢ 01 अदद एंड्राइड मोबाइल (सैमसंग) मॉडल- SM-MO66B/DS (4GB/64GB), रंग- आसमानी, काले रंग के कवर सहित), मेड इन इण्डिया। (IMEI NO- 357309/91/197321/6 व 357907/60/157321/2)

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० आलोक कुमार, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ०नि० जानमेजर वर्मा, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का० कार्तिकेय सिंह, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1996
दिनांक- 03.11.2026

जोन-उत्तरी / थाना- रहीमाबाद, लखनऊ

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा गौमांस की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से ओमिनी वैन, 07 बोरे मांस एवं अवैध कटान में प्रयुक्त उपकरण बरामद।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 02.11.2026 को वादी श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामलखन निवासी ग्राम रूसैना थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा गौमांस काटकर अपनी गाड़ी वैन वाहन संख्या UP32HP3774 में रखकर ले जाने के सम्बन्ध में दिया।

जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 बनाम 01.मोहम्मद फैजुल पुत्र जान मोहम्मद निवासी टिकरा बरार थाना सण्डीला जनपद हरदोई वाहन संख्या UP32HP3774 का चालक, 02.रिजवान पुत्र अज्ञात, 03.इस्लामू पुत्र अज्ञात, 04.इरसाद पुत्र अज्ञात निवासीगण अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.11.2026 को थाना रहीमाबाद पर पीआरवी द्वारा प्राप्त सूचना कि कुछ व्यक्ति ओमिनी वैन से गौमांस लेकर जा रहे है जो अभी जुगराजगंज रेलवे क्रासिंग के पास में है, इस सूचना पर थाना स्थानीय से पुलिस बल मौके पर पहुंची। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची। ओमिनी वैन वाहन संख्या UP32HP3774 के चालक मोहम्मद फैजुल पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम टिकरा बरार थाना सण्डीला जनपद हरदोई को स्थानीय लोगों ने घेर रखा था।

तत्पश्चात पुलिस बल द्वारा वाहन उपरोक्त में रखे मांस के बोरे व वाहन चालक मोहम्मद फैजुल उपरोक्त मय वाहन को थाना रहीमाबाद लाया गया। वादी मुकदमा भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामलखन निवासी ग्राम रूसैना थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर बावत अभियुक्तगण द्वारा गौमांस को अपनी गाड़ी वैन वाहन संख्या UP32HP3774 में रखकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 बनाम 01. मोहम्मद फैजुल पुत्र जान मोहम्मद निवासी टिकरा बरार थाना सण्डीला जनपद हरदोई वाहन संख्या UP32HP3774 का चालक, 02.रिजवान पुत्र अज्ञात, 03.इस्लामू पुत्र अज्ञात, 04.इरसाद पुत्र अज्ञात निवासीगण अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वाहन उपरोक्त में 07 बोरे मांस के बरामद हुये थे, पशु चिकित्सक द्वारा सैम्पल लिया गया। अभियुक्त फैजुल के पूछताछ के आधार पर इसके साथी मोहम्मद रिजवान पुत्र अशफाक निवासी ग्राम मुन्नूखेड़ा थाना सण्डीला जनपद हरदोई को 19.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

03-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 163/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मोहम्मद रिजवान पुत्र असफाक उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मुन्नूखेड़ा थाना सण्डीला जनपद हरदोई,
2. मोहम्मद फैजुल पुत्र जान मोहम्मद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी टिकरा बरार थाना सण्डीला हरदोई

05- बरामदगी विवरण-

- 03 अदद लकड़ी के ठिया जिसकी व्यास करीब 2.5 बालिस्त,
- 03 अदद कुल्हाडी जिसमें 06 अंगुल लोहे की फल व लकडी का बेटा करीब 01 फीट,
- 06 अदद बाकां लोहा,
- 07 अदद छुरी,
- 01 अदद इलेक्ट्रानिक कांटा,
- 01 अदद तराजू,
- बाँट 06 अदद जिसमें 02 KG का एक, 01 KG का एक, 500 GRAM का एक, 200 GRAM का एक, 100 GRAM के दो,
- रेती 05 अदद,
- 02 अदद नायलान रस्सी के गुच्छा
- घटना में प्रयुक्त ओमिनी वैन वाहन संख्या UP32HP3774

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार त्रिगुनायक थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
2. व0उ0नि0 रावेन्द्र सिंह थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
3. का0 अंकित सैनी थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
4. का0 सिमित कुमार थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
5. का0 शीर्षपाल सिंह थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1993

दिनांक-03.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना-मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को लगातार परेशान एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त हंस कुमार शुक्ला को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **02.11.2026** को थाना मलिहाबाद पर वादी मुकदमा द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी लगभग **13 वर्षीय पुत्री को गांव का ही हंस कुमार पुत्र श्याम सुन्दर काफी समय से लगातार परेशान एवं भयभीत करता था तथा अपने साथ चलने का दबाव बनाता था।** विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा जान-माल की धमकी दी जाती थी। वादी के अनुसार करीब 05 माह पूर्व अभियुक्त हंस कुमार, उसके भाई विनय कुमार, माता रामलली एवं पिता श्याम सुन्दर द्वारा वादी के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला भी किया गया था। उक्त परिस्थितियों के कारण बालिका मानसिक रूप से काफी परेशान एवं भयभीत रहती थी।

दिनांक 02.11.2026 को वादी के घर पहुंचने पर उसकी पुत्री घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। उक्त प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना मलिहाबाद पर **मु0अ0सं0 210/2026 धारा 107/351(3)/115(2)/3(5) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसी क्रम में दिनांक 02.11.2026 को मुखबिर खास से अभियोग में वांछित अभियुक्त हंस कुमार शुक्ला के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा साहिलामऊ क्रॉसिंग के पास चेकिंग एवं तलाश की गई। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम **हंस कुमार शुक्ला पुत्र श्याम सुन्दर, निवासी ग्राम रमगढ़ा, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ** बताया।

अभियोग में वांछित होने की पुष्टि होने पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को दिनांक **02.11.2026 को समय करीब 23:00 बजे नियमानुसार गिरफ्तार** कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में नामजद अन्य अभियुक्तों की तलाश एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण –

पूर्व मे पारिवारिक वाद विवाद व लडाई झगडा होना स्वीकार किया ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 210/2026 धारा 107/351(3)/115(2)/3(5) बीएनएस, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हंस कुमार शुक्ला पुत्र श्याम सुन्दर, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम रमगढ़ा, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ। (व्यवसाय-मजदूरी)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. अति0 प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा , थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 विन्ध्य कुमार यादव, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 राहुल तिवारी, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. म0उ0नि0 श्रीमती आशी गुप्ता , थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. हे0का0 अमित कुमार सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
6. का0 संजय कुमार, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2001
दिनांक- 03.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना- इटौंजा, लखनऊ

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर नाबालिग पीडिता को किया गया सकुशल बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.11.2026 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र बावत वादी की नाबालिग पुत्री के बिना बताये घर से चले जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ। जिस सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 156/2026 धारा- 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना की गम्भीरता को देखते हुये तत्काल अपह्यता/गुमशुदा की तलाश हेतु उच्चाधिकारी गण के आदेश निर्देश के क्रम में टीम का गठन किया गया।

स्थानीय पुलिस टीम द्वारा बालिका की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई तथा आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साथ ही आवश्यक जानकारी एकत्र कर लगातार प्रयास किए गए।पुलिस टीम के प्रयासों से नाबालिग बालिका को दिनांक 02.11.2026 को समय करीब 11.56 बजे अस्ती क्रासिंग के पास थाना क्षेत्र बीकेटी सकुशल खोज लिया गया।

आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 -156/2026 धारा- 137(2) बीएनएस थाना इटौंजा, लखनऊ।

03-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊः-

1. उ0नि0 श्री सुमित कुमार
2. उ0नि0 शिवानी सिंह
3. का0 अभिषेक कुमार
4. म0का0 कविता शर्मा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1997
दिनांक- 03.11.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-काकोरी

- **थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जनपद लखनऊ महोदय द्वारा जारी निर्गत एन0बी0डब्ल्यू0 वाद सं0 710/869/29 मु0अ0सं0 240/09 धारा 420/467/471 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी सर्वेश पुत्र कल्लू निवासी बाबाखेड़ा मजरा हलुवापुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ, मा0न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियोग/केस में अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा वारण्टी उपरोक्त को उसके घर ग्राम बाबाखेड़ा मजरा हलुवापुर से दिनांक 03.11.2026 को समय 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सर्वेश पुत्र कल्लू निवासी बाबाखेड़ा मजरा हलुवापुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

03-संबन्धित वाद-

1. वाद सं0 710/869/29 मु0अ0सं0 240/09 धारा 420/467/471 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री राज कुमार यादव थाना काकोरी कमिशनरेट लखनऊ।
2. आरक्षी अमित बाबू थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1995

दिनांक-03.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज लखनऊ

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा कब्रिस्तान में लगे दीवार व गेट को जेसीबी मशीन द्वारा क्षतिग्रस्त करने के आरोपी 04 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना मे प्रयुक्त 01 अदद जेसीबी बरामद।**

01-कार्यवाही विवरण :-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज श्री दिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कब्रिस्तान में लगे दीवार व गेट को जेसीबी मशीन द्वारा क्षतिग्रस्त करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.10.2026 को वादी वकार अहमद पुत्र वसीम अहमद निवासी- ग्राम गंगागंज सलेमपुर थाना गोसाईगंज उम्र लगभग 30 वर्ष द्वारा किता प्रा0पत्र बावत कब्रिस्तान में अतिचार करने के उद्देश्य से दिवार व गेट को जेसीबी मशीन द्वारा क्षतिग्रस्त कर देने के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मु0अ0सं0 403/2026 धारा 301/324(4)/61(1) (बी) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना गोसाईगंज बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा टैक्निकल, मैनुअल एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से प्रकाश मे आये अभियुक्त गण 01. इमरान, 02. मो0 इमरान, 03. सलमान, 04.मिराज अली को आज दिनांक 03.11.2026 को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. इमरान पुत्र इरफान अली उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम गंगागंज सलेमपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ।
2. मो0 इमरान पुत्र स्व० फारुक अली उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम मरखापुर थाना गोसाईगंज लखनऊ।
3. सलमान पुत्र शमशाद हुसैन उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम घुसकर थाना गोसाईगंज लखनऊ।
4. मिराज अली पुत्र स्व० फारुक अली उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम मरखापुर थाना गोसाईगंज लखनऊ।

05-पंजीकृत अभियोग:-

1 . मु0अ0सं0 403/2026 धारा 301/324(4)/61(1) (बी) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ।

06. बरामदगी-

- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद जेसीबी

07-गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- ***इमरान का आपराधिक इतिहास:-***

- मु0अ0सं0- 154/2025 धारा- 316(2) बीएनएस थाना गोमती नगर विस्तार, कमिश्नरेट लखनऊ।

- ***मो0 इमरान पुत्र स्व० फारुक उपरोक्त***

- मु0अ0सं0- 90/2026 धारा- 191(2)/352 बीएनएस थाना बीबीडी, कमिश्नरेट लखनऊ।

- ***सलमान पुत्र शमशाद हुसैन उपरोक्त***

- मु0अ0सं0- 607/2016 धारा- 352, 379, 506 IPC व 21/4 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, थाना गोसाईगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना गोसाईगंज पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1994
दिनांक- 03.11.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा घरों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।**
- **चोरी के आभूषण व नकदी बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.10.2026 को वादी मुकदमा श्री अंकलेश्वर सिंह पुत्र श्री राकेश प्रताप सिंह निवासी विराट खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा थाना गोमतीनगर पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर में घुसकर लगभग **25,000/- रुपये नकद, चांदी की पायल, दो चांदी की बिछिया, एक सोने की नोज पिन एवं तीन चांदी के सिक्के** चोरी कर लिये गये हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 482/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

उक्त चोरी की घटना के अनावरण एवं चोरी गये माल की बरामदगी हेतु थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 02.11.2026 को संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा 01.विशाल रावत पुत्र राम प्रसाद निवासी– नन्दपुर, सराय सेख थाना चिनहट, लखनऊ उम्र 20 वर्ष 02. युवराज रावत पुत्र रामनरेश निवासी नन्दपुर, सराय सेख थाना चिनहट, लखनऊ उम्र 23 वर्ष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी, व अन्य बरामद शुदा माल के बारे में पूछने पर ज्ञात हुआ कि थाना हाजा पर पंजीकृत के मु0अ0स0 473/26 धारा– 305ए/331(4) बीएनएस की विवेचना म0उ0नि0 कंचन तिवारी द्वारा की जा रही है जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री अविनाश दुबे पुत्र श्री अनिल कुमार दूबे निवासी – म0सं0 1/21, विराटखंड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा बावत प्रतिवादीगण द्वारा घर में घूस कर घर में रखा कैश व कीमती ज्वेलरी चोरी करने एवं उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किरायेदार चरणदीप सिंह और उनकी पत्नी के घर से लगभग 20-25 हजार रुपये व कुछ ज्वेलरी गायब होने के सम्बन्ध में दाखिला के आधार पर पंजीकृत है व मु0अ0स0 581/2026 धारा 305ए बीएनएस थाना चिनहट में पंजीकृत है उपरोक्त के सम्बंध में थाना चिनहट पर सूचना दिया गया बरामद माल के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी कर अंतर्गत धारा 305(ए)/331(4)/317(2) में मा0 न्यायालय किया जा रहा है व घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल UP32RS6744 को सीज किया गया।

02-अनावरित अभियोगों का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0482/26 धारा 305(ए)/331(4) व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना गोमती नगर लखनऊ
2. मु0अ0स0 473/26 धारा – 305ए/331(4) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना गोमती नगर लखनऊ
3. मु0अ0स0 581/2026 धारा 305ए बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विशाल रावत पुत्र राम प्रसाद निवासी – नन्दपुर, सराय सेख थाना चिनहट, लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
2. युवराज रावत पुत्र रामनरेश निवासी नन्दपुर, सराय सेख थाना चिनहट, लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

- 01 नफर बाल अपचारी

04- बरामदगी विवरण-

- **मु0अ0सं0-** 0482/2026- 03 जोड़ी पायल, 04 अदद बिछिया,01 अदद सफेद धातु का सिक्का 4100 रुपये नकद
- **मु0अ0सं0- 473/2026** से सम्बंधित 9100 रुपये नकद

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गोमतीनगर लखनऊ-

1. म0उ0नि0 श्रीमती कंचन तिवारी
2. उ0नि0 दीपक कुमार यादव
3. उ0नि0 हिमांशु द्विवेदी
4. का0 अंकुर चौधरी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2000
दिनांक- 03.11.2026

जोन–मध्य / थाना–आलमबाग

- **थाना आलमबाग पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से चेन छीनकर भाग रही 01 शातिर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **छीनी गई पीली धातु की चेन बरामद।**
- **पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्यवाही में एक अन्य चेन चोरी की घटना का भी अनावरण।**

01- कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशानुसार, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, श्रीमान पुलिस उपायुक्त (मध्य) के पर्यवेक्षण और अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा सहायक पुलिस आयुक्त (कैण्ट) श्री सुजीत दुबे के मार्गदर्शन में, प्रभारी निरीक्षक थाना आलमबाग श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना आलमबाग पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता के खिलाफ अग्रिम विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 02.11.2026 को थाना आलमबाग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि टेढ़ी पुलिया, आलमबाग के पास एक महिला का चेन छीनकर भाग रही महिला को पीड़िता द्वारा स्थानीय पुलिसकर्मी की सहायता से पकड़ लिया गया है। सूचना पर तत्काल थाना आलमबाग पुलिस मौके पर पहुंची तथा पकड़ी गई महिला को थाने लाया गया।

पूछताछ में पीड़िता श्रीमती मैना देवी पत्नी श्री लाल बहादुर निवासी बदाली खेड़ा, कानपुर रोड, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ ने बताया कि वह चारबाग से अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान टेढ़ी पुलिया, आलमबाग से ऑटो में सवार तीन महिलाओं द्वारा उन्हें बातों में उलझाकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई। **चेन छीनकर भाग रही एक महिला को पीड़िता ने साहस दिखाते हुए पकड़ लिया तथा मौके पर पहुंची पुलिस की सहायता से उसे थाना लाया गया।**

पकड़ी गई अभियुक्ता द्वारा नाम अनीता उर्फ सोनिया पत्नी राकेश हरिजन उर्फ बब्लू कुमार निवासिनी नियर गुरुजी गोलवलकर स्कूल डिभिया धोबी टोला पो0 खैरावर थाना एम्स जनपद गोरखपुर बताया गया।

अभियुक्ता की जामा तलाशी से 1,750 रुपये नकद बरामद हुए तथा पीड़िता के पास से छीनी गई पीली धातु की एक अदद टूटी हुई चैन (वजन लगभग 05 ग्राम) बरामद कर विधिक प्रक्रिया के अनुसार पुलिस कब्जे में ली गई। अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार थाना आलमबाग पर मु0अ0सं0 165/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत कर नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एक अन्य चेन चोरी की घटना का अनावरण:

गिरफ्तार अभियुक्ता अनीता उर्फ सोनिया उपरोक्त से पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना आलमबाग पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 164/2026 धारा 303(2) बीएनएस की चेन चोरी की घटना का भी अनावरण हुआ है।**

उक्त अभियोग में वादिनी श्रीमती फूलमती देवी द्वारा दिनांक 26.10.2026 को कैसरबाग से ऑटो द्वारा टेढ़ी पुलिया आलमबाग आने के बाद गीतराज होटल के सामने से नहरिया चौराहे जाने हेतु ई-रिक्शा में बैठने के दौरान उनके गले से लगभग 18 ग्राम वजन की सोने की चैन चोरी होने के संबंध में दिनांक 31.10.2026 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्ता अनीता उर्फ सोनिया ने उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया है। इस संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-पंजीकृत अभियोग:

1. मु0अ0सं0 165/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस, थाना आलमबाग, लखनऊ।

04-अनावरित अभियोग –

1. मु0अ0सं0 164/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना आलमबाग लखनऊ

05-गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:

1. अनीता उर्फ सोनिया पत्नी राकेश हरिजन उर्फ बब्लू कुमार निवासिनी नियर गुरुजी गोलवलकर स्कूल डिभिया धोबी टोला पो0 खैरावर थाना एम्स जनपद गोरखपुर उम्र करीब 36 वर्ष

06-आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना अमीनाबाद जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 52/2019 धारा 379/411 भादवि थाना झुसी, जनपद प्रयागराज

07-बरामदगी:-

- पीली धातु की एक अदद टूटी हुई चेन (वजन लगभग 05 ग्राम)।
- 1,750 रुपये नकद।

08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव, थाना आलमबाग, लखनऊ।
2. म0हे0का0 रितु प्रभाकर, थाना आलमबाग, लखनऊ।